

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,

संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार

वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 10/01/2025

विषय : स्व० रवि कुमार, उप सरपंच, ग्राम पंचायत— रामपुर, प्रखंड—
कहलगाँव, जिला— भागलपुर की आश्रिता श्रीमती नीलम देवी (पत्नी)
एवं स्व० रामप्रवेश कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत— मकन्दपुर, प्रखंड—
शाहकुंड, जिला— भागलपुर की आश्रिता श्रीमती विमला देवी (माँ) को
₹5.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख
रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है जिला पदाधिकारी, भागलपुर के अभिलेख सं०-31/24-25 दिनांक 11.11.2024 के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 2653 दिनांक 18.11.2024 द्वारा स्व० रवि कुमार, उप सरपंच, ग्राम पंचायत—रामपुर, प्रखंड—कहलगाँव, जिला—भागलपुर की दिनांक 08.11.2023 को पदासीन रहने के दौरान दुर्घटना से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के अभिलेख सं०-25/23-24 दिनांक 11.11.2024 के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 2654 दिनांक 18.11.2024 द्वारा स्व० रामप्रवेश कुमार, ग्राम पंचायत— मकन्दपुर, प्रखंड— शाहकुंड, जिला— भागलपुर की दिनांक 18.06.2023 को सरपंच के पद पर पदासीन रहने के दौरान दुर्घटना (विद्युत स्वर्शाघात) से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना के हुई मृत्यु की

स्थिति में ₹5.00 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

साथ ही उक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

5. अतएव उक्त कंडिका-2 एवं 3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	मृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	स्व० रवि कुमार/उप सरपंच ग्राम पोस्ट-रामपुर, वार्ड सं०-02, थाना-शिवनारायणपुर प्रखंड-कहलगाँव, जिला-भागलपुर	₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश अभिलेख सं०-31/24-25 एवं जिला पंचायत राज पदा०, भागलपुर के पत्रांक-2653 दिनांक-18.11.24
2	स्व० रामप्रवेश कुमार/पंचग्राम-मकंदपुर, पो०-मोकिमपुर, थाना-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर	₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश अभिलेख सं०-25/23-24 एवं जिला पंचायत राज पदा०, भागलपुर के पत्रांक-2654 दिनांक-18.11.24
कुल		₹10,00,000.00 (दस लाख रुपये)	

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष 001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं०-16 एवं विपत्र कोड 16-2515000010101 है।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

8. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा स्व० रवि कुमार, उप सरपंच एवं स्व० रामप्रवेश कुमार, सरपंच की मृत्यु एवं उनसे संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या-5482 दिनांक-01.10.2018 के आलोक में अपने स्तर से करा ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्पसंख्या-ए०/विविध-(38)-60-2008-8960

दिनांक-30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024 के पृष्ठ-11/टि० पर दिनांक-03/10/25 को प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024 के पृष्ठ-12/टि० पर दिनांक-09/10/25 को प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

09.1.25
(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024/73(1910)/प०रा०पटना, दिनांक...10/10/25
प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, भागलपुर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद
भागलपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर,
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.1.25
(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024/73(1910)/प०रा०पटना, दिनांक...10/10/25
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09.1.25
(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024/73(1910)/प०रा०पटना, दिनांक...10/10/25
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5(बजट)/आईटी0मैनेजर, पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.1.25
(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-04/2024/73(1910)/प०रा०पटना, दिनांक...10/10/25
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.1.25
(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव